परिपत्र संख्या 05/2017

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(482)मुख्य/विधि/2017/ 1036 दिनांक : 11-7-17

–: परिपत्र :–

विषय :– मुद्रांक प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35, 37, 51, 53 व 55 में दर्ज मुद्रांक प्रकरणो का निस्तारण राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–64, 65, 66 एवं 67 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार कलक्टर मुद्रांक के द्वारा मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में किया जाना आवश्यक है।

कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित निर्णयों की पत्रावलियों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि मुद्रांक प्रकरणों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 90 दिवस की अवधि में निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पक्षकारों को असुविधा होती है एवं राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय भी समय पर प्राप्त नहीं होती है।

अतः कलक्टर (मुद्रांक) के यहां दर्ज प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में ठोस साक्ष्यों व सबूतों के साथ राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाकर राज्य के विरूद्ध पारित निर्णयों की पत्रावलियां 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से मुख्यालय को परीक्षण हेतु भिजवायें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनके यहां दर्ज प्रकरण निस्तारण हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि का ना हो।

15/6/17

(डॉ. राजेश शर्मा),
महानिरीक्षक,

क्रमांक : एफ.7(482)विधि/विविध/2017/ 1037–1586 दिनांक : 11-7-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी